13.10.22 आवेदकगण चेनसींग, मनोज, संदीप, प्रदीप, राहुल, आकाश, आनंद, अभय, छोटू उर्फ विदर्भ, भरत की ओर से श्री एच.के. पांडे, श्री एच.एस. ठाकुर एवं श्री अरुण ठाकुर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य द्वारा श्री विजय तिवारी अपर लोक अभियोजक उपस्थित। जिन्हें आवेदन की प्रति प्रदान की गयी।

जमानत आवेदन पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से रिमांड प्रपत्र एवं थाना रहली से अपराध क्रं. 639/2022 धारा–147, 148, 452, 336, 323, 324, 294, 506 भा.दं.सं. की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्रस्तुत।

आपत्तिकर्ता लखन, फूलसींग, रविन्द्र, देवी सिंह, प्रहलाद की ओर से जमानत आवेदन निरस्त करने हेतु अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र तिवारी स्वयं के उपस्थिति ज्ञापन सहित लिखित आपत्ति पेश की तथा सबूत नक्शा दस्तावेज पेश किये। अभिलेख पर लिये गये।

इस प्रकरण में जमानत आवेदन पत्र के संदर्भ में आवेदकगण की ओर से **शपथकर्ता विशाल सिंह** का शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह जमानत आवेदन पत्र प्रथम नियमित जमानत आवेदन होना तथा अन्य कोई आवेदन माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न तो निराकृत किया गया और न ही लंबित होना बताया है। इस प्रकार का आवेदन अन्य किसी भी सक्षम न्यायालय में पेश न होना बताया गया है। अतः यह आवेदन **प्रथम नियमित जमानत आवेदन** मानकर इसका निराकरण किया जा रहा है।

आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण को थाना रहली की पुलिस ने उक्त धाराओं के तहत गिरफ्तार कर श्री सतीश शर्मा, जे.एम.एफ.सी. रहली के न्यायालय में पेश किया था जहां पर उनका जमानत आवेदन निरस्त कर न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल रहली भेज दिया गया। आवेदकगण ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है उन्हें रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण पर आरोपित यह प्रथम अपराध है पूर्व में किसी अपराध के लिए न तो उन्हें अभियोजित किया है न ही दंडित किया है। आवेदकगण पर आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है एवं आरोपित अपराध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है।

घटना दिनांक को गांव के कुंवर सिंह, भबूत सिंह, हरिसिंह, प्रीतम ने आवेदकगण मनोज, भरत व चैनसींग के साथ घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट पर उनके विरुद्ध काउंटर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उक्त अपराध से बचने के लिए फरियादी ने थाना पुलिस से मिलकर असत्य प्रकरण दर्ज करवाया है। आवेदकगण ग्राम

पर्का थाना रहली जिला सागर के स्थाई निवासी हैं जहां उनकी चल–अचल सम्पत्ति स्थित है। अतः जमानत उपरांत उनके भागने या फरार होने की संभावना नहीं है। उक्त प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है केवल अभियोग पत्र पेश होना शेष है। प्रकरण के निराकरण में विलंब लगने की संभावना है। आवेदकगण न्यायालय के आदेशानुसार अपनी सक्षम जमानत पेश करने एवं न्यायालय द्वारा आदेशित शर्तों का पालन करने तैयार हैं।

जमानत आवेदन में यह भी लेख है कि आवेदकगण की ओर से धारा– 439 दं.प्र.सं. के तहत यह प्रथम जमानत आवेदन है पूर्व में अन्य कोई आवेदन माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो निराकृत किया गया न ही लंबित है। आवेदकगण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका एम.सी.आर.सी. नं. 41554/22 एवं 42082/22 हैं, जो दिनांक 26.09.22 को बल न देने से निरस्त कर दिये गये थे।

आपत्तिकर्ता की ओर से लिखित आपत्ति संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना रहली में आवेदकगण के विरुद्ध उपरोक्त अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें आवेदकगण द्वारा आपत्तिकर्तागण व उसके परिवार वालों के साथ कुल्हाड़ी, कतरना एवं लाठी से घर में घुसकर गंभीर रूप से मारपीट की है जिसमें आपत्तिकर्तागण व उसके परिवार के देवीसींग, प्रहलाद, रविन्द्र को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। उपरोक्त घटना के एक दिन पूर्व भी आवेदकगण मनोज सिंह, चैनसिंह, आकाश सिंह, हेनात सिंह, विशाल सिंह, श्री सिंह उर्फ विट्टू ने आपत्तिकर्तागण के भाई भबूत सिंह के साथ एक राय होकर गाली गलौच कर आपत्तिकर्तागण के घर आकर लाठियों से मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट आपत्तिकर्तागण के भाई भबूत सिंह ने दिनांक 29.06.22 को पुलिस थाना रहली में की थी, जिस पर अपराध क्र. 633/22 धारा– 147, 148, 294, 323, 506 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया है। उपरोक्त घटना में भबूत सिंह व सचिन को चोटें आई हैं और सचिन को सिर में गंभीर चोट लगी थी।

यह भी आपत्ति लेख की है कि आवेदकगण आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं उनके द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर धारदार हथियारों से गंभीर मारपीट की है, जिसमें आपत्तिकर्तागण का पूरा परिवार आहत है। आवेदकगण आज भी आपत्तिकर्तागण को राजीनामा के लिए डरा, धमका रहे हैं तथा मौका मिलने पर उनके साथ पुनः मारपीट करने की साजिश कर रहे हैं। आवेदकगण का अपराध गंभीर प्रकृति का होकर इसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आपत्तिकर्तागण को भी हाथों में अस्थिभंग है तथा रॉडें डली हैं एवं सभी आपत्तिकर्तागण को सिर में धारदार हथियार की गंभीर चोटें हैं। ऐसी दशा में यदि

आवेदकगा को जमानत का लाभ दिया गया तो आवेदकगण पुनः कोई गंभीर घटना कारित कर सकते हैं। अतः आवेदकगण का जमानत आवेद निरस्त किये जाने की मांग की।

अभियोजन/अनावेदक की ओर से आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

केस डायरी एवं विरोध पत्र का अवलोकन किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी विशाल द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 29.06.22 को फरियादी के चाचा भबूत सिंह का आवेदक चैन सिंह से विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट भबूत सिंह ने की थी, उक्त बात पर से दिनांक 30.06.22 को दिन में 12 बजे फरियादी अपने घर पर था तभी चैन सिंह कतरना, मनोज सिंह कुल्हाड़ी, आकाश कतरना, भरत कुल्हाड़ी लेकर तथा प्रदीप, संदीप, राहुल, अभय, आनंद, विदर्भ लाठी डंडा लेकर आये और चाचा के घर के सामने आये और चाचा का नाम लेकर गाली गलौज करन लगे तो घर से लखन सिंह बाहर निकलकर सभी को गाली देने से मना किया तो आनंद ने लखन को लाठी मारी जो बायें हाथ में लगी तथा विदर्भ सिंह ने लाठी मारी जो सीना में भुजा के पास लगी, तो लखन सिंह अपने घर के अंदर घुस गया, तो यह सभी लोग लखन सिंह को मारने के लिए घ्ज्ञर के अंदर घुस गये तभी फरियादी, देवी सिंह, फूल सिंह, प्रहलाद सिंह, लखन सिंह को बचाने घर के अंदर गये तो चैन सिंह ने फूल सिंह को कतरना मारा जो सिर में लगा कट कर खून निकल आया और प्रदीप ने लाठी मारी जो दाहिने हाथ में लगी, मनोज ने कुल्हाड़ी मारी जो देवी सिंह को सिर में लगी कट कर खून निकल आया। आकाश ने कतरना मारा जो प्रहलाद सिंह को सिर में लगा कट कर खून निकल आया। भरत ने फरियादी को कुल्हाड़ी मारी जो सिर में लगी खून निकल आया। बाकी सभी ने फरियादी व अन्य लोगों को लाठी डंडा से मारपीट की फिर सभी लोग बाहर निकल कर वहां पर पड़े पत्थरों को उठाकर मारने लगे और कहने लगे मादरचोद अगर रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे और भाग गये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदकगण/आरोपीगण के विरुद्ध थाना रहली के अपराध क्र. 639/22, धारा–147, 148, 452, 336, 323, 324, 294, 506 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आवेदकगण द्वारा दिनांक 30.06.22 को 12 बजे दिन में आहतगण के साथ घातक औजार से घर के अंदर प्रवेश कर मारपीट किया, इसके पहले बाहर मारपीट किया था, बचने के लिए एक आहत के घर के अंदर प्रवेश करने पर उसे मारने के लिए घर के अंदर घुसे, जिसमें लखन सिंह को गंभीर उपहति हुई। ऐसी स्थिति में संबंधित थाना की

ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में धारा– 147, 148, 452, 336, 323, 294, 506 भा.दं.सं. का अपराध कायम किया गया था, जिसे बाद में अस्थिभंग होने पर धारा– 325 एवं 459 भा.दं.सं. का इजाफा किया गया तथा आरोपी चैनसिंह, आकाश द्वारा लोहे का कतरना प्रयुक्त करने जिसकी धार की लंबाई 9 इंच के करीब होने से प्रकरण में धारा– 25 (1)(बी) आर्म्स एक्ट का भी इजाफा किया गया।

उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण की नस्ती डायरी एवं विरोध पत्र का अवलोकन किया गया। इसमें आहत सचिन को अस्थिभंग होने की बात बताई गई है किन्तु वह अस्थिभंग केस डायरी में स्पष्ट नहीं हो रहा है केवल आहत लखन को हाथ में कठोर एवं भोथरी वस्तु से अस्थिभंग होना प्रगट हो रहा है। तर्क में यह कहा गया कि धारा– 459 भा.दं.सं. का मामला नहीं बनता केवल धारा– 452 और 325 भा.दं.सं. का मामला बनता है, जिसमें धारा– 452 भा.दं.सं. अजमानती और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय अपराध है।

तर्क के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में लगाई गई अग्रिम जमानत के आदेश की प्रति पेश की गई। उक्त आदेश में एम.सी.आर.सी. नं. 42082/22 प्रस्तुत कर तर्क किया गया कि उन्होंने अग्रिम जमानत का आवेदन वापस ले लिया है, वहां कोई भी आवेदन अब लंबित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय से जमानत आवेदन वापस लेने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया है कि आरोपी/आवेदकगण विचारण न्यायालय में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे नियमित जमानत के लिए विचारण न्यायालय में उपस्थित होवें, यदि वहां पुलिस द्वारा कोई पुलिस रिमांड मांगा जाता है और उसकी अवधि समाप्त हो जाती है तो इस आवेदन को यथाशीघ्र कंसीडर किया जाये।

इसका तात्पर्य बचाव पक्ष द्वारा बताया गया, उसका खंडन अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा नहीं किया गया केवल आपत्तिकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत में आदेश दिया गया था कि आरोपीगण विचारण न्यायालय में समर्पण हों और वहां आवेदन लगायें। किन्तु वे विचारण न्यायालय में समर्पित नहीं हुए बल्कि थाने में समर्पण किये हैं इसलिए उन्हें शीघ्र कंसीडर शब्द का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इसके उत्तर में आवेदकगण की ओर से कहा गया कि वे शीघ्र कार्यवाही चाहते थे इसलिए स्वयं थाना पहुंचकर समर्पण किये हैं इसलिए उनके भागने की संभावना नहीं है। कोई जप्ती नहीं होना है यदि न्यायालय में समर्पण किया जाता तो पुलिस पुनः विवेचना के लिए कोई बात कह सकती थी

इससे ज्यादा समय लगता। ऐसी स्थिति में सद्भाविक रूप से पुलिस के समक्ष सभी आवेदकगण ने समर्पण किया है।

तर्क के दौरान आहतगण भी उपस्थित हुए थे। उन्होंने व्यक्त किया था कि लखन को हाथ में लाठी से चोट आई थी और फूल सिंह को भी अस्थिभंग हुआ था किन्तु इसके संबंध में कोई रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न नहीं है केवल एक्स–रे संलग्न है, जिसके लिए न्यायालय विशेषज्ञ नहीं है इसलिए वह इस पर ज्यादा विचार नहीं कर सकती किन्तु जो अवलोकन से प्रगट हो रहा है, वह प्राइवेट अस्पताल का एक्स–रे है, उसमें हाथ में अस्थिभंग होना प्रगट हो रहा है। यदि दोनों अस्थिभंग को मान लिया जाये तो प्रकरण में जिस प्रकार घटना घटित होना बताया गया है, उसे देखते हुए दोनों पक्ष पड़ोसी हैं, दोनों आहतगण भी आज न्यायालय में उपस्थित हैं, उन्होंने व्यक्त किया कि आरोपीगण यदि यह वचन देते हैं कि वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जमानत पर छोड़े जाने में ज्यादा आपत्ति नहीं है।

इस पर आवेदकगण की ओर से कहा गया कि वे प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने तक जहां न्यायालय कहे वहां दिन–प्रतिदिन उपस्थित होने को तैयार हैं। आगे वे कभी आहतगण के साथ विवाद नहीं करेंगे। दोनों पक्ष पड़ोसी हैं, भविष्य में दोनों पक्ष के मध्य सुलह होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आहतगण के विरुद्ध भी धारा– 325, 294, 506 भा.दं.सं. का मामला पंजीबद्ध किया गया है। दोनों पक्ष के बीच शांति कायम रखने की पूरी कोशिश की जायेगी।

इस प्रकरण में आरोपीगण की ओर से धारा– 459 भा.दं.सं. के संबंध में दिये गये तर्क पर ज्यादा खुलासा करना न्यायहित में उचित न पाते हुए पूर्व के झगड़े के आधार पर आरोपीगण द्वारा एक व्यक्ति को दरवाजे के सामने खड़े होने पर उसे मारने के लिए जाने पर उसके अंदर घुस जाने से उसके पीछे–पीछे बरामदे तक जाकर मारपीट किया जाना डायरी से प्रगट हो रहा है, जिसमें किसी धारदार वस्तु से अस्थिभंग होने की बात अभी तक विवेचना पूर्ण न होने से मामला प्रगट नहीं हुआ है केवल लाठी से बरामदे में जाकर मारपीट करना प्रगट हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में आवेदकगण संबंधित थाना में समर्पण किये हैं इसलिए उनके पलायन होने की संभावना नहीं है और न्यायालय में किये गये तर्क के आधार पर दोनों पक्षों के बीच भविष्य में शांति बने रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

यदि धारा– 459 भा.दं.सं. का मामला नहीं बनता तो यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय अपराध होगा और 07 वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय अपराध होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए

न्याय दृष्टांत **सत्येन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई (एसएलपी) किमिनल 5191 आदेश दिनांक 11.07.22** में दिये गये मार्गदर्शन के आधार पर व अपराध की प्रकृति, आरोपीगण के विरुद्ध आदतन अपराधी होने का प्रमाण न होना, आवेदकगण द्वारा अधिकांश नवयुवक होने और उनके ज्यादा दिन जेल में रहने से उनके स्वभाव में गंभीर अपराध के आरोपी के साथ रहकर परिवर्तन होने की संभावना दोनों पक्ष के बीच काउंटर मामले में समझौता होने की संभावना, आरोपीगण का प्रथम अपराध होना, उनके स्थानीय निवासी होना, इन सब तथ्य एवं परिस्थिति को ध्यान में रखकर जहां लगभग विवेचना पूर्ण हो चुकी है उसे देखते हुए सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित पाया जाता है।

अतः उपरोक्त आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन धारा— 439 दंप्रसं स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि यदि **आवेदकगण की ओर से 25,000—25,000/— की दो—दो सक्षम जमानत एवं 50,000—50,000/— के मुचलके** संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

शर्तेः—

1— आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत बंधपत्र की शर्त पूरा करने पर जमानत पर छोड़े जाने के बाद विवेचना या विचारण के दौरान अभियोजन साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।

2—विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और विचारण न्यायालय में नियत श्रवण तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होते रहेगे। जब भी विवेचक बुलायेगा तब उत्तर देने के लिए वे उपस्थित होंगे।

3—आवेदक जमानत प्राप्ति के बाद अपने बताये गये नियत पते से स्थाई रूप से पलायन नहीं करेगें।

4—आवेदक इसी प्रकार का या किसी अन्य प्रकार का कोई अपराध नहीं करेगे।

5—जमानत पर छोड़ने के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्व ारा अथवा कोविड—19 या अन्य संक्रमण के संबंध में जेल प्रशासन द्वारा जारी एस.ओ.पी. का पालन करते हुये रिहा किया जावे।

6—आरोपीगण/आवेदकगण जब तक विवेचना पूर्ण नहीं हुई है तब तक प्रत्येक रविवार संबंधित विवेचक के पास या थाना प्रभारी के पास थाना में जाकर 07 दिन के अंदर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इस बात की जानकारी देंगे।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रतिलिपि के साथ एवं केस डायरी के साथ आदेश की प्रति सहित वापस किया जाये। इसके अलावा उभयपक्ष को भी प्रदान की जाये।

प्रकरण का परिणाम पंजी व सी.आई.एस. दुरूस्त कर जमानत पत्रावली विहित समय–सीमा में अभिलेखागार प्रेषित की जावे।

आर. प्रजापति
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रहली, जिला– सागर (म.प्र.)

आदतन अपराधी होने का प्रमाण न होना, आवेदकगण द्वारा अधिकांश नवयुवक होने और उनके ज्यादा दिन जेल में रहने से उनके स्वभाव में गंभीर अपराध के आरोपी के साथ रहकर परिवर्तन होने की संभावना दोनों पक्ष के बीच काउंटर मामले में समझौता होने की संभावना, आरोपीगण का प्रथम अपराध होना, उनके स्थानीय निवासी होना, इन सब तथ्य एवं परिस्थिति को ध्यान में रखकर जहां लगभग

विवेचना पूर्ण हो चुकी है उसे देखते हुए सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित पाया जाता है।

अतः उपरोक्त आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन धारा– 439 दंप्रसं स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि यदि **आवेदकगण की ओर से 25,000–25,000/– की दो–दो सक्षम जमानत एवं 50,000–50,000/– के मुचलके** संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

शर्तेः–

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत बंधपत्र की शर्त पूरा करने पर जमानत पर छोड़े जाने के बाद विवेचना या विचारण के दौरान अभियोजन साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।